नौमनि,भारत सरकार के ई-न्यूज़लैटर का तीसरा अंक, जनवरी 2017

भारत सरकार,
पोत परिवहन मंत्रालय,
नौवहन महानिदेशालय,
बीटा बिल्डिंग, 9 वीं मंज़िल, आई-थिंक टेक्नो कैम्पस, कांज़ूर मार्ग (पूर्व)
मुंबई –400 042.

नौमनि, भारत सरकार का ई-न्यूज़लैटर
(नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार का तिमाही ई-न्यूजज़लैटर)

संरक्षक:	डॉ. मालिनी वी. शंकर, भाप्रसे, नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
सलाहकार मंडल:	1. श्री अमिताभ कुमार, भारासे, अपर नौवहन महानिदेशक. 2. श्री बी आर शेखर, मुख्य सर्वेक्षक 3. श्री सुरेश कुमार, मुख्य पोत सर्वेक्षक 4. कप्तान केपी जयकुमार, उप नौटिकल सलाहकार
संपादक :	जी एल सिंह , कन्सल्टेंट हेल्प डेस्क
संपादकीय सहायता :	1. श्रीमती आर. आई. सोलकर, कन्सल्टेंट 2. श्रीमती वी. आई. शर्मा, कन्सल्टेंट 3. श्री डी. डी. मंकीकर, कन्सल्टेंट हेल्प डेस्क
हिंदी अंक:	
संपादन तथा अनुवाद:	विमलेन्द्र भदौरिया
टाइपसेटिंग:	श्रीयुत श्रीराम

संपादकीय. . .

विकास के लिए अधिरचना का आधारभूत अंग परिवहन है और नौवहन इसका अभिन्न अंग है. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वाणिज्य पोत परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण वाणिज्य पोत परिवहन को वाणिज्यिक, आर्थिक, और औद्योगिक विकास के लिए अपरिहार्य समझा जाता है. इस संबंध में, नि:संदेह, कारगर तरीके से सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी वाणिज्यिक पोत और समुद्रकर्मी इसके महत्वपूर्ण घटक है.

समुद्रीय सुरक्षा, पर्यावरण नियंत्रण और पोतों के प्रचालन में समुद्रकर्मियों की भूमिका अनुपम है. समुद्रकर्मियों का कार्य तथा इनकी जीवन की स्थितियां और कार्य की प्रकृति सबसे अलग होती है. इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को विशिष्ट तौर पर समुद्रीय जगत के लिए अलग से श्रम मानकों को सुथापित करने के लिए कन्वेंशन अपनानी पड़ीं. समुद्रीय श्रम कन्वेंशन (एमएलसी) ने इन्हें समेकित किया, और समुद्रकर्मियों हेतु कार्य की आरामदायक स्थितियों के अधिकारों की स्थापना की. प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने 09.10.15 के एमएलसी का अनुसमर्थन किया और दिनांक 09 . 10. 16 से यह भारत में प्रवृत्त हो गया. भारतीय समुद्रीय प्रशासन ने समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए वर्ष 2016 की वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 16 समुद्रीय श्रम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु दिनांक 08.12.2016 में यथावर्णित रीति से पहले से ही मान्यता प्राप्त संगठनों (आईआरएस, एबीएस, एलआर, डीएनवी, बीवी, एनकेके, केआर आरआईएनए) को प्राधिकृत किया जा चुका है.

समुद्रीय क्षेत्र में चाहे जो लोग शामिल हों किंतु समस्या का सामना सबसे पहले समुद्रकर्मी को ही करना होता है. जब भी कुछ विपरीत घटता है तो सबसे पहले इसका असर समुद्रकर्मी पर होता है. समय-समय पर समुद्रकर्मियों को सख्ती से यह हिदायत दी जाती रही है कि वे पोत पर भर्ती और नियोजन सेवाओं के लिए अप्राधिकृत एजेन्टों के फेर में न पड़ें. अन्य बातों के साथ-साथ समुद्रकर्मियों की सहायता के लिए शिकायत का समाधान होने पर जानकारी देने की प्रणाली बनाई गई, इन शिकायतों और समाधानों के बारे में जानकारी नौमनि को प्राप्त होती है. नौमनि के ई-न्यूज़लैटर के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारियों के बीच सूचना पहुंचाई जाती है. इस ई-न्यूज़लैटर में सुधार लाने के लिए हर सुझाव का स्वागत है.

जीएल सिंह.

अस्वीकरण :इस न्यूज़लैटर में निहित बातें मात्र सूचना के प्रयोजन से हैं .इसमें निहित बातों के सही होने या फिर इनकी अधिप्रामाणिकता का न तो कोई दावा है न ही इस न्यूज़लैटर में दी गई जानकारी या किसी संदर्भ से इसमें शामिल की गई जानकारी के प्रति किसी व्यक्ति का कोई दायित्व ही है .

नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय, मुंबई.

डॉ. मालिनी वी. शंकर , (भाप्रसे (महाराष्ट्र, :1984) ने दिनांक19 . 12. 2016को नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के रूप में कार्यभार संभाला.

इस नियुक्ति से पहले आप महाराष्ट्र सरकार में राजस्व, राहत और पुनर्वास विभाग की प्रभारी अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थीं. आपके गतिवान नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपेक्षाकृत रूप से अधिक सुरक्षित और समुत्थानशील समुदायों की रचना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में आपदा प्रबंधन/ शमन कार्यक्रम हेतु कारगर तरीके से विभिन्न नीतियों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का निरूपण किया गया.

इससे पहले अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण के रूप में आपने पर्यावरण निकासियों, तटवर्ती विनियम और प्रबंधन योजनाओं, मौसम परिवर्तन, जल तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम, नमभूमि परिरक्षण और प्रचालन के प्रति सहमति संबंधी मुद्दों का समाधान करने की चुनौतियों पर कार्य किया.

प्रधान सचिव, जल संसाधन के तौर पर आपने बांध और नहरों के प्रबंधन, जल आवंटन, संसाधनों, जल कुशलता में सुधार, प्रतिभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन का संवर्धन करने आदि में अपना भारी योगदान दिया.

महाराष्ट्र राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति और स्वच्छता की नीति निरूपित करने और इसे कार्यान्वित करने में आप अध्येता रही हैं. सबके लिए जल और शहरी जल सुधार की पहल आपने की और जनता इसे कभी भुला नहीं सकेगी.

विकास आयुक्त, उद्योग रहते आपने महाराष्ट्र में – बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों में निवेशों के साथ-साथ औद्योगिक समुच्चयों के कार्यक्रम का संवर्धन किया.

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार में जेडीसी, एमईपीज़ैड के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपने अपने यहां आने वाली एफडीआई को बढ़ाने और किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देने में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया.

आप सार्वजनिक नीति – संस्थानगत अर्थशास्त्र में प्रतिष्ठित भाप्रौसं, मद्रास द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी (पीएच. डी.) से विभूषित हैं.

नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार की ओर से संपादक मंडल और समूचे नौवहन जगत की ओर से इस विश्वास के साथ नौवहन महानिदेशक का स्वागत है कि आप भारतीय समुद्रीय जगत को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी.

. . . . ई-न्यूज़लैटर का संपादक मंडल.

नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार का वक्तव्य. . .

प्राचीन काल से ही नौवहन जहां परिवहन का साधन रहा है तो वहीं इसने तटवर्ती नगरों, राष्ट्रों और महाद्वीपों के लोगों को परस्पर जोड़े रखा है. आज विश्व का लगभग 90 प्रतिशत व्यापार अन्तरराष्ट्रीय नौवहन उद्योग द्वारा ही किया जाता है. विश्व में समुद्रीय कार्य व्यापार का विस्तार किए जाने तथा लोगों के लिए इसे और अधिक लाभकारी बनाए जाने की आवश्कता है.

2. प्रबंधन प्रणालियों से समुद्रीय जगत का लाभ होगा जिससे इसकी दीर्घकालिक निरंतरता बनी रहेगी साथ ही राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय विनियमों और संलेखों के कार्यान्वयन से अभी तक अनसुलझे मुद्दों और निकट भविष्य में सिर उठा सकने वाली संभावित समस्याओं का समाधान होगा. इस पर विचार करते हुए, लंबे समय से प्रतीक्षित प्रमुख और व्यावहारिक रूप से संगत नौ अधिकरण (समुद्रीय दावों का न्यायक्षेत्र और निपटान) विधेयक, 2016 संसद में रखा गया जो कि समुद्रीय समुदाय हेतु अत्यंत महत्व का है और व्यावहारिक रूप से संगत है. इस विधेयक से नौ अधिकरण न्यायक्षेत्र सुचारू हो जाएगा. इसी तरह से संसद के गत सत्र में भारत में एक नया संहिताबद्ध, आधुनिक, तर्कसंगत, सहज और प्रयोक्ता अनुकूल वाणिज्य पोत परिवहन विधान लाने के लिए वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016 लाया गया. आशा है कि इससे प्रक्रियाएं और पद्धतियां सहज होंगी.

3. वैश्विक परिदृश्य और भारत के सतत् आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए कारोबार में आसानी का बड़ा महत्व है. आज इस बात की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है कि कारोबार करने में, व्यापार करने, भारतीय पत्तनों पर भारतीय ध्वज पोतों/ जलयानों के निर्बाध आवागमन में आसानी बढ़ाने के लिए चारों ओर से सहयोग किया जाए इस संबंध में भारतीय समुद्रीय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि यदि घोषणा-सह-परिवचन दे दिया गया हो तो पत्तन निकासी के प्रयोजन से अपेक्षित सांविधिक प्रमाणपत्रों और प्रलेखों को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा से छूट प्रदान की जाए.

4. नए तौर-तरीकों और तकनीक को परीक्षा प्रणाली में निरंतर शामिल किया जा रहा है, निदेशालय ने कागज पर परीक्षा देने की चली आ रही प्रणाली की जगह एनसीवी के सक्षमता प्रमाणपत्र के विभिन्न ग्रेडों को प्रदान किए जाने के लिए परीक्षा देने हेतु इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट की शुरुआत की है. कागजी रिकॉर्ड पर निर्भर बने रहने में कमी लाने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बिना कागज की डिजिटल तकनीक को आरंभ किया गया है.

5. समुद्रीय क्षेत्र में पोतों पर कार्य करने वाले समुद्रकर्मियों और प्रोफेशनलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. समुद्रकर्मियों और हितधारियों को सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास में एक सहवर्ती फीडबैक प्रणाली चलाई गई है और वर्तमान में 1400 से अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया गया है. शिकायतें दर्ज कर जल्द समाधान करने और आवश्यक फीडबैक देने की वजह से यह सुविधा उनके लिए लाभदायक सिद्ध हुई है.

6. नौमनि का ई-न्यूज़लैटर समुद्रीय क्षेत्र की संगत जानकारी सब तक पहुंचाने और इसे प्रकाशित करने के लिए एक उचित माध्यम है. मेरी कामना है कि यह प्रयास महती रूप से सफल हो.

(डॉ. मालिनी शंकर, भाप्रसे)
नौवहन महानिदेशक
एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार.

समुद्रीय वाणिज्य विभागों और समुद्रीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भारतीय मात्स्यिकी नौकाओं के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन की मान्यता बढ़ाया जाना .

भारतीय ध्वज मात्स्यिकी नौका स्वामी अपनी सुविधार्थ अपने वर्तमान पंजीकार के यहां से अपने समुद्री राज्य /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में पंजीयन करवाएं तो ऐसे में संबंधित अधिकार क्षेत्र के समुद्रीय राज्य /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रशासनिक सुविधा और इसके साथ ही यह कि वे अभी तक पूर्वोक्त कार्यों के लिए पूरी तरह से तैयार भी नहीं हो पाए होंगे तो ऐसे में नौवहन महानिदेशालय अपने गत नौमनि आदेश संख्या1 / 2015दिनांक की मान्यता आगे बढ़ाता है. इस संबंध में दिनांक09 . 11. 2016का नौमनि आदेश संख्या6 / 2016पढ़ें.

भारत में समुद्रकर्मियों के प्रशिक्षणार्थ अनुमोदित समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धांत और प्रक्रियाएं .

नौवहन महानिदेशालय ने अपने नौमनि आदेश2 / 2007के अधिक्रमण में नौमनि आदेश7 / 2016जारी किया है, जिसके अंतर्गत भारत में समुद्रकर्मियों के प्रशिक्षणार्थ अनुमोदित समुद्र-पूर्व पाठ्यक्रमों के आयोजन के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत और प्रक्रियाएं दी गई हैं. ये मार्गदर्शी सिद्धांत तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे.	

सरकार ने निम्नोक्त के अनुमोदन से प्रतिबंध हटा लिया है :

(1) मॉड्यूलर, सिम्यूलेटर और समुद्रोपरांत सक्षमता पाठ्यक्रम :

नौवहन महानिदेशक ने वर्ष 2007 के प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 5 का पुन : अवलोकन किया जो कि समुद्रोपरांत मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के बारे में है. नौमनि और सक्षम प्राधिकारी ने वर्ष 2016 के नौमनि आदेश संख्या 5 में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भारत में समुद्रकर्मियों के प्रशिक्षणार्थ मॉड्यूलर, सिम्यूलेटर और समुद्रोपरांत सक्षमता पाठ्यक्रमों के अनुमोदन से सहर्ष प्रतिबंध समाप्त कर दिया है. ये मार्गदर्शी सिद्धांत 1 नंवबर, 2016 से प्रवृत्त हैं.

ये मार्गदर्शी सिद्धांत 25 जून, 2010 को मनीला में एसटीसीडबल्यू कन्वेंशन के पक्षों के सम्मेलन पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत (एसटीसीडबल्यू) नियम, 2014 द्वारा अंगीकृत रूप में प्रशिक्षण और निगरानी पर अंतरराष्ट्रीय का पूर्णरूपेण कार्यान्वयन करने के लिए बनाए गए हैं.

(2) जीपी रेटिंग समुद्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम :

दिनांक07 . 05. 2015के नौमनि प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 4 (फाइल नंबर :3-टीआर/(15)/2003 और दिनांक07 . 09. 2010 का वर्ष 2010 का गत प्रशिक्षण परिपत्र संख्या 9 (फाइल नंबर :11-टीआर (25)/2008) (जिसमें नए जीपी रेटिंग समुद्रीय प्रशिक्षण संस्थान-सह-ऐसे संस्थानों की क्षमता बढ़ाये जाने और जीपी रेटिंग पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या के अनुमोदन पर प्रतिबंध लगाया गया था) के अधिक्रमण में सक्षम प्राधिकारी ने एक नया परिपत्र (वर्ष 2016 का प्रशिक्षण अनुभाग का परिपत्र संख्या08) जारी कर इस परिपत्र को जारी किए जाने की तारीख से जीपी रेटिंग पाठ्यक्रम से प्रतिबंध हटा लिया गया है.	

कार्यव्यापार को निरंतर आसान करते रहना, वापोप अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय ध्वज पोतों/जलयानों का निर्बाध आवागमन.

यथा संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958का उद्देश्य यह है कि अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्य पोत परिवहन जगत के समग्र विकास का कार्य निरंतर चलता रहे और भारतीय हितों की सिद्धि के लिए सर्वथा उपयुक्त तरीके से भारतीय समुद्री वाणिज्य में सुरक्षा और कौशल सुनिश्चित हो.

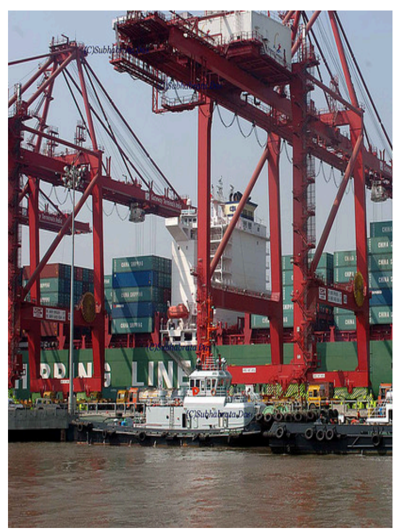

पत्तन निकासी के प्रयोजन से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत विहित प्रमाणपत्रों और प्रलेखों को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा भारतीय पंजीकृत पोतों और अन्य पोतों से थी. करोबार करने में सुभीता बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने पत्तन निकासी के लिए सभी भारतीय पत्तनों पर इस अपेक्षा से छूट प्रदान की है. ऐसा तब होगा जब पोत के मास्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक घोषणा-सह-परिवचन दिया जाए कि सभी उक्त सांविधिक प्रमाणपत्र मान्य हैं और यह भी कि पोत से संबंधित कोई सर्वेक्षण (एकाधिक) या लेखापरीक्षा (एकाधिक) बकाया नहीं है. यह घोषणा-सह-परिवचन आवश्यकता होने पर क्षेत्राधिकार वाले समुद्रीय वाणिज्य विभाग (सविवा) द्वारा सत्यापित किया जाएगा. इस संबंध में नौमनि आदेश संख्या 08 दिनांक30 . 11. 2016का अवलोकन करें.

भारतीय समुद्र में चल रहे विदेशी ध्वज जलयानों हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत .

यथा संशोधित, वापोप अधिनियम, 1958 की धारा 406 या 407 के अंतर्गत नौमनि, भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेन्स वाले विदेशी ध्वज जलयान भारतीय समुद्र में एक से दूसरे पत्तन के बीच यात्रियों को लाने-ले जाने के कार्य में लगाए जा रहे हैं. भारतीय समुद्र में ऐसे विदेशी यात्री जलयानों को अनुमति देते समय नौमनि, भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि इन जलयानों हेतु सुरक्षा, संरक्षा और प्रदूषण की रोकथाम के जो न्यूनतम मानक इनके लिए विहित हैं वे इनका पालन करें और इनके यात्री और क्रू अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन द्वारा विहित किए गए मानकों का पालन करें. इसे दृष्टिगत रखते हुए नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार राष्ट्रीय समुद्रीय प्रशासक होने के नाते यथा संशोधित, वापोप अधिनियम, 1958की धारा 406 और 407 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक02 . 12. 2016के नौवहन विकास परिपत्र संख्या 07 के अनुसार, वापोप अधिनियम, 1958 की धारा 406 या 407 में से किसी के अंतर्गत विदेशी ध्वज के यात्री पातों को अनुमति/ लाइसेन्स प्रदान करने की शर्तें तय करता है.

आमोद-प्रमोद वाले जलयान :मार्गदर्शी सिद्धांत/ अनुदेश

आमोद-प्रमोद हेतु जलयानों को चलाए जाने के लिए अलग से जब तक नियम अधिसूचित नहीं किए जाते हैं तब तक के लिए नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार ने आमोद-प्रमोद हेतु जलयानों को चलाए जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत/ अनुदेश (दिनांक30 . 11. 2016का आदेश संख्या7 /2016) जारी किए हैं जो कि इस प्रयोजनार्थ आमोद-प्रमोद हेतु जलयानों को चलाए जाने के लिए इनके निर्माण, सर्वेक्षण, प्रमाणन और प्रचालन हेतु हैं.

नौ अधिकरण (न्यायक्षेत्र और समुद्रीय दावों का निपटान) विधेयक, 2016 और वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016 संसद में हैं.

(1) नौ अधिकरण (न्यायक्षेत्र और समुद्रीय दावों का निपटान) विधेयक,2016 .

नौ अधिकरण (न्यायक्षेत्र और समुद्रीय दावों का निपटान) विधेयक, 2016 सदन के विचारार्थ दिनांक21 . 11. 16को लोक सभा में लाया गया. प्रस्तावित विधेयक में न्यायालयों के नौ अधिकरण न्यायक्षेत्र, समुद्रीय दावों पर नौ अधिकरण कार्यवाहियों, जलयानों को बंदी बनाए जाने और संबंधित मुद्दों के बारे में विद्यमान विधियों को समेकित किया गया है. अंग्रेज़ों के ज़माने के पुराने पड़ चुके चार नगरीय नौ अधिकार कानूनों की जगह इसे लाया गया है. इन

चार नौ अधिकरण कानूनों को सरकार की उस प्रतिबद्धता के अंतर्गत समाप्त किया गया है जिसमें यह निहित था कि कुशल शासन में बाधा बनने वाले पुराने पड़ चुकी विधियों को समाप्त कर दिया जाए.

(2) वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016

दिनांक 23.11.16 को संघीय मंत्रिमंडल द्वारा वाणिज्य पोत पविहन विधेयक, 2016 का अनुमोदन किया गया. दिनांक 16.12.16 को यह विधेयक लोक सभा में लाया गया. इस नए विधान से विद्यमान वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और तटवर्ती जलयान अधिनियम, 1838 समाप्त हो जाएंगे. इस विधेयक के प्रावधानों से भारत में वाणिज्य पोत परिवहन को शासित करने वाली विधि सहज रूप में बन पाएगी. इसके अलावा, कुछ पुराने पड़ चुके प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे और शेष प्रावधानों को समेकित किया जाएगा और आसान किया जाएगा ताकि कारोबार करने में आसानी, पारदर्शिता और सेवाओं को कारगर तरीके से प्रदान किये जाने को बढ़ावा दिया जा सके.

विधेयक का अधिनियमन हो जाने के बाद निम्नोक्त भारी सुधार लाए जाएंगे :

ए. भारत में भारतीय टनभार के संवर्धन/ तटवर्ती नौवहन के विकास को इनके द्वारा बढ़ावा दिया जाना :

(ए) भारतीय ध्वज जलयानों के रूप में पंजीकृत होने के लिए भारतीय संस्थाओं के भारी स्वामित्व वाले जलयानों और बेयर बोट-सह-डिमाइस (बीबीसीडी) संविदे पर चार्टर किए गए जलयानों को अनुमति दिया जाना.

बी) भारत के नियंत्रण वाले टनभार को अलग से एक श्रेणी में मान्यता दिया जाना

सी) भारतीय ध्वज जलयानों को तटवर्ती रूप से चलाए जाने और कस्टम प्राधिकारियों द्वारा पत्तन निकासी किए जाने हेतु लाइसेन्सों को जारी किए जाने की आवश्यकता समाप्त किया जाना, और

डी) भारत में तटवर्ती नौवहन को विकसित करने और इसका संवर्धन करने के लिए तटवर्ती जलयानों हेतु अलग से नियम बनाया जाना.

बी. समुद्रकर्मियों हेतु कल्याण उपायों को आरंभ किया जाना, जैसे कि :

ए) समुद्री दस्युओं द्वारा बंधक बनाए गए समुद्रकर्मियों को तब तक मज़दूरी दी जाएगी जब तक कि वे छूट कर अपने घर सुरक्षित रूप से पहुंच नहीं जाते.

बी) जलयानों के स्वामियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे मास्त्स्यिकी, पाल जलयान जिनमें प्रणोदन की मशीन नहीं लगी है और जिनका टनभार 15 से कम का है उन सहित जलयानों पर कार्य कर रहे क्रू का बीमा करवाएं, और

सी) अब के बाद से यह आवश्यक नहीं होगा कि क्रू नाविक पाल के सामने करारनामे पर हस्ताक्षर करे.

सी. कुछ बची हुई श्रेणी के जलयानों का पंजीकरण जो कि किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर प्रावधान बनाया जाना.

सभी समुद्रगामी जलयानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे इस नए कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो जाएं ताकि सुरक्षा एवं संरक्षा को बरकरार रखा जा सके.

डी. नए अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों को शामिल किया जाना :

इस विधेयक में नौ नए आईएमओ कन्वेंशन शामिल किए गए हैं. विद्यमान अधिनियम के विभिन्न भागों में जो जलयानों के सर्वेक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन हेतु प्रावधान बिखरे पड़े थे उन्हें एक जगह लाया गया है ताकि भारतीय नौवहन उद्योग की सुविधार्थ आसान व्यवस्था बनाई जा सके.

भारतीय नौवहन टनभार

भारतीय नियंत्रण वाले पोतों सहित भारतीय पोतों के टनभार की स्थिति मिलियन सकल टनभार में नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाई गई है :

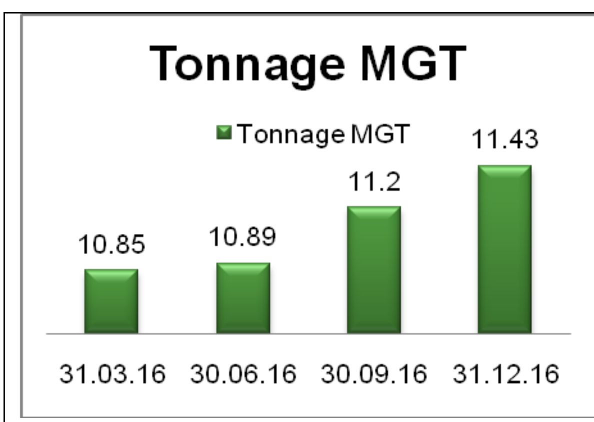

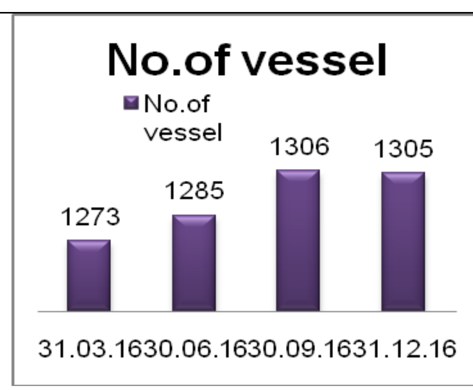

टैब्लेट पर एनसीवी परीक्षा – डिजिटल टैक्नोलॉजी में एक सराहनीय कदम :

निदेशालय निरंतर विभिन्न ग्रेडों के सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु परीक्षा प्रणाली में नित नए टूल और तकनीकों को लाने तथा इनका प्रयोग करने के प्रति सन्नध है. इनमें से ऐसा एक कदम है कि कागज पर लिखवा कर ली जाने वाली परीक्षा की परंपरागत प्रणाली की जगह अब लिखित परीक्षा हेतु इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट का प्रयोग किया जाए.

समग्र और एकरूपता वाले तरीके से अभ्यर्थियों के विषयनिष्ठ उत्तरों को आसानी और तेज़ी से जांचने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने और कागजी रिकॉर्ड पर आश्रित रहने में कमी लाने के प्रयोजन से नौमनि ने यह निर्णय लिया है कि एनसीवी के सभी ग्रेडों की परीक्षा को आयोजित किए जाने के लिए लिखित परीक्षा प्रणाली में कागज रहित डिजिटल टैक्नोलॉजी का प्रयोग आरंभ किया जाए. अभ्यर्थियों अपने उत्तर टैबलेट पर देंगे और इन्हें ऑनलाइन ही जांच लिया जाएगा, इसमें वे पेपर शामिल नहीं होंगे जिनमें कि विशेष तरह के रेखाचित्र या ऐसे डाटा होते हैं जो वर्तमान तकनीकी सीमाओं के कारण टैबलेट पर नहीं आ सकते. अधिक जानकारी के लिए आप दिनांक 25.11.16 का इंजीनियरिंग परिपत्र संख्या133 / 2016देखें.

<u>पत्तन राष्ट्र नियंत्रण – अधिक जोखिम वाले जलयानों पर नज़र :</u>

हमारे पत्तनों पर आने वाले विदेशी पोतों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय समुद्र सुरक्षित, संरक्षित और किए जाने वाले प्रदूषण का पूरी तरह से प्रतिकार करते हैं. कुल मिलाकर 132 विदेशी ध्वज वाले पोतों का निरीक्षण किया गया और इनमें से अन्तरराष्ट्रीय विनियमों का पालन न करने वाले 06 पोतों को रोक कर रखा गया. विभिन्न विनियमों को दृष्टिगत रखते हुए इनके अनुपालन हेतु 75 भारतीय पोतों का भी निरीक्षण किया गया जिनमें से 09 पोतों को रोक कर रखा गया. इन सभी मामलों में बहुत ही बारीकी बरतते हुए इनकी जानकारी प्रदान की गई. इसी

बीच, विदेशी पत्तनों पर 03 भारतीय पोतों को रोक कर रखा गया. इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए कि हमारे पत्तनों पर आने वाले अधिक जोखिम वाले जलयानों को पत्तन राष्ट्र नियंत्रण निरीक्षकों द्वारा अधिक ध्यान में रखा जाए.

सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

प्रचालनों में सुरक्षा संबंधी जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए एक संरचित प्रबंधन दृष्टिकोण उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से 08 नई कंपनियों को अनुपालन प्रमाणपत्र का अंतरिम प्रलेख, कंपनियों को 07 पूर्णकालिक अनुपालन प्रलेख और पोतों को 45 सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं.

इंजीनियरिंग परीक्षा – सबसे अधिक पारदर्शी प्रणाली :

(1) सभी मौखिक परीक्षाएं बाहरी परीक्षकों द्वारा उचित रीति से सीसीटीवी कवरेज के अंतर्गत आयोजित की गईं जिससे यह परीक्षा प्रणाली विश्व की सबसे अधिक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के रूप में सामने आई है. किसी अभ्यर्थियों को यदि शिकायत हो तो वह मौखिक परीक्षा की रिकॉर्डिंग को देख सकता/ ती है.

(2) सभी लिखित परीक्षाएं भी सीसीटीवी कवरेज में ही आयोजित की जाती हैं और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बाहरी परीक्षकों द्वारा करवाया जाता है.

सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) :

योजनाबद्ध रूप से इंजीनियरिंग परीक्षाएं आयोजित की गईं और सभी समुद्री वाणिज्य विभागों द्वारा यथा समय परिणाम घोषित कर दिए. इंजीनियरिंग के सभी ग्रेडों की परीक्षाओं के लिए अक्तूबर 16 से दिसंबर 16 की तिमाही के दौरान कुल मिलाकर 1638 सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किए गए और वर्ष की पिछली तिमाहियों की तुलना में ये अधिक थे. स्क्रीनिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया सुदृढ़ है और मात्र सक्षम अभ्यर्थियों को ही प्रमाणित किया जाता है जिससे गुणवत्ता बनी रहती है. अक्तूबर और नवंबर 2016 के महीनों में औसतन26 . 2 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की.

सभी समुद्रकर्मियों को सलाह (वर्तमान तथा भावी)

जलयानों पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर अनाधिकृत एजेन्टों द्वारा ठगी किए जाने के संबंध में समुद्रकर्मियों की ओर से मिली तमाम शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए नौमनि ने सभी समुद्रकर्मियों को एक सूचना जारी की जिसमें यह सलाह दी गई कि अनाधिकृत एजेन्टों के माध्यम से नौकरी में आने का कतई प्रयास न करें. यह भी कहा गया कि विदेशी ध्वज पोत सहित पोतों पर नौकरी पाने के लिए वे मात्र पंजीकृत नियोजन और सेवा अभिकरणों यानी एजेन्टों के माध्यम से ही आएं. ऐसी अनुमोदित एजेन्सियों की सूची www. dgshipping. gov. in. पर उपलब्ध है. नियोजन अभिकरणों से प्राप्त नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार करने से पहले समुद्रकर्मी आवश्यक रूप से नौमनि की वैबसाइट देख लें और निश्चित कर लें कि यह एजेन्सी पंजीकृत है भी या नहीं. इसे सभी संबंधितों द्वारा ध्यान में रखा जाए.

आयात-निर्यात व्यापार में होने वाले लेनदेन के खर्च पर सलाह के संबंध में सपषटीकरण:

लेनदेन से संबंधित शुल्कों के बारे में पारदर्शिता और मध्यस्यतता के अभाव के संबंध में आयात-निर्यात व्यापारियों की शिकायतों का समाधान करने के लिए नौमनि ने हितधारियों से व्यापक परामर्श कर उसमें से जो मतैक्यता की स्थिति बनी उसके अनुसार दिनांक 26.12.16 को पत्र संख्या एमटीओ-2(1)/2015 जारी कर इस सलाह के बारे में सपषटीकरण जारी किया.

विदेशी ध्वज पोतों के पोत स्वामियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित समुद्रकर्मी की समुद्री सेवा में छूट/ मान्यता .

(1) सक्षमता प्रमाणपत्र का पुनर्वैधीकरण और जीएमडीएसएस प्रमाणपत्रों का पृष्ठांकन.

वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्रकर्मियों की भर्ती और नियोजन) नियम, 2016 में ऐसी प्रणाली दी गई है जिससे भारतीय और विदेशी ध्वज जलयानों पर कार्य कर रहे भारतीय समुद्रकर्मियों की रक्षा की जा सके और उनके कहीं फंस जाने की दशा में, या अन्य विपदा के दौरान, जब संबंधित पोत स्वामी ऐसे समुद्रकर्मियों को उनके देश के पत्तन पर वापस ला सकने के अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर पा रहा हो तो ऐसे में उन्हें वापस लाए जाने का कार्य करने के संबंध में आवश्यक सुरक्षोपाय करना.

नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि उक्त नियम के अंतर्गत प्राधिकृत आरपीएस प्रदाताओं के माध्यम से ही समुद्रकर्मी नौकरी पर लगाए जाएं. तथापि, ऐसा देखा गया है कि समुद्रकर्मी अब भी अन्य बातों के साथ-साथ पोत पर या तो विदेशी ध्वज स्वामियों द्वारा सीधे ही भर्ती कर लिए जाते हैं या फिर इन्हें अब भी अनधिकृत आरपीएस एजेन्सियों के माध्यम से भर्ती किया जाता है. ऐसे मामलों का समाधान करने के लिए यह भी बताया गया कि सक्षमता प्रमाणपत्रों और प्रमाणनों के प्रयोजन से ऐसी समुद्री सेवा जो कि अपंजीकृत आरपीएस सस्थाओं के माध्यम से की गई होगी उसे मान्यता नहीं दी जाएगी. बावजूद इसके, तमाम समुद्रकर्मियों को सीधे ही या फिर अपंजीकृत आरपीएस संस्थाओं के माध्यम से नौकरियां दी गईं. निदेशालय को मिले विभिन्न अभ्यावेदनों पर आवश्यक बातचीत और आंतरिक परामर्श किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी ध्वज पोतों के स्वामियों द्वारा सीधे ही नियोजित ऐसे समुद्रकर्मियों की मात्र 01.11.16 से पहले की गई सेवा पर सक्षमता प्रमाणपत्रों के पुनर्वैधीकरण के प्रयोजन से तथा जीएमडीएसएस प्रमाणपत्रों के पृष्ठांकन हेतु विचार किया जा सकेगा. यह भी जान लिया जाए कि इस समुद्री सेवा को सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षाओं के प्रयोजनों हेतु नहीं गिना जाएगा. इस संबंध में, क्रू अनुभाग का परिपत्र दिनां 25.11.16. संख्या4 / 2016देखें.

(2) इलेक्ट्रो तकनीकी अधिकारी :

इसी तरह से, नौमनि ने निर्णय लिया है कि विदेशी ध्वज पोतों के स्वामियों द्वारा सीधे ही नौकरी पर लगाए गए ऐसे इलेक्ट्रो तकनीकी अधिकारियों की01 . 11. 16से पहले की गई समुद्री सेवा पर ही इस परीक्षा और प्रमाणन के प्रयोजन से विचार किया जा सकेगा. इस संबंध में दिनांक5 . 12. 16का नौमनि परिपत्र संख्या 5/ 2016देखें.

नौमनि ने पहले ही सभी संबंधितों को यह स्पष्ट कर दिया है कि वापोप (वाणिज्य पोत परिवहन में रसोइए के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र) नियम, 1991 के अंतर्गत जारी किया गया रसोइए हेतु सक्षमता प्रमाणपत्र समुद्रीय श्रम कन्वेंशन, 2006 के प्रावधानों के अनुसार है. इस अनुरोध के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उक्त पृष्ठांकन में प्रमाणपत्र पर ही यह बात लिखी हो. तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि नाविक पालों द्वारा जारी किए गए रसोइए के तौर पर सक्षमता प्रमाणपत्रों पर निम्नोक्त वक्तव्य छपा होगा :

यह प्रमाणपत्र समुद्रीय श्रम कन्वेंशन, 2006 के विनियम3 . 2के अनुपालन में जारी किया गया है.

जिन समुद्रकर्मियों को पहले से ही सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है और जो उपर्युक्त पृष्ठांकन के साथ नए प्रमाणपत्र चाहते हैं वे इस कार्यालय की वैबसाइट www. dgshipping.gov.in से ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकते हैं. उपर्युक्त पृष्ठांकन वाला नया प्रमाणपत्र मूल प्रमाणपत्र की जगह पर जारी किया जाएगा. इस संबंध में दिनांक20 . 10. 2016का क्रू अनुभाग की वापोप सूचना संख्या11 / 2016देखी जा सकती है.

बीडबल्यूएम कन्वेन्शन :

अन्तरराष्ट्रीय यात्रा में एक अपरिहार्य आवश्यकता

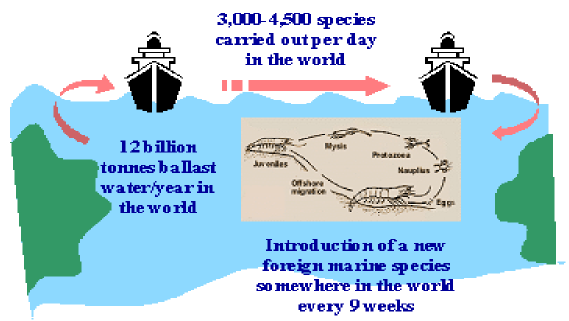

पोतों के अनुपूरक जल और तलछट को नियंत्रित रखने और इसका प्रबंधन करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन, 2004(बीडबल्यूएम कन्वेंशन) सितंबर, 2017 से प्रवृत्त हो जाएगा. भारत को अभी बीडबल्यूएम कन्वेंशन का अनुसमर्थन करना है. 400 सकल टनभार और इससे अधिक टनभार वाले भारतीय ध्वज वाले जलयान जब ऐसे देश के पत्तन में जाते हैं जिन्होंने कन्वेंशन का अनुसमर्थन कर दिय है तो वहां बीडबल्यूएम कन्वेंशन के अंतर्गत प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है. चूंकि भारत ने अभी तक कन्वेंशन का अनुसमर्थन नहीं किया है इसलिए यह अन्तरराष्ट्रीय अनुपूरक जल प्रबंधन प्रमाणपत्र जारी नहीं कर सकता. इसलिए, कन्वेंशन में यथानुमत रूप से अन्तरराष्ट्रीय अनुपूरक जल प्रबंधन प्रमाणपत्र की जगह पर भारत अनुपालन विवरण जारी करेगा.

सभी मान्यता प्राप्त संगठनों (आरओ) को यह सलाह दी गई है कि ये बीडबल्यूएम कन्वेंशन की अपेक्षाओं से शासित होंगे. इन्हें बीडबल्यूएम योजनाओं को अनुमोदित करने और सर्वेक्षण करने और दिनांक06 . 12. 2016के इंजीनियरिंग परिपत्र संख्या2 / 2016में यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजनीय अपेक्षाओं के अनुसार बीडबल्यूएम अपेक्षाओं का संतोषजनक सत्यापन कर लिए जाने के बाद ऐसे सभी भारतीय जलयानों को बीडबल्यूएम कन्वेंशन हेतु अनुपालन विवरण जारी करें.

जानकारी मिलने के साथ ही समाधान की प्रणाली

नौवहन महानिदेशालय ने एक ऑनलाइन ऐसी प्रणाली विकसित की है जिसमें शिकायत मिलने के साथ ही समाधान किया जाता है. समुद्रकर्मियों और हितधारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा और फीडबैक के आधार पर नीचे दिए गए ग्राफ में रेटिंग का प्रतिशत देखा जा सकता है :

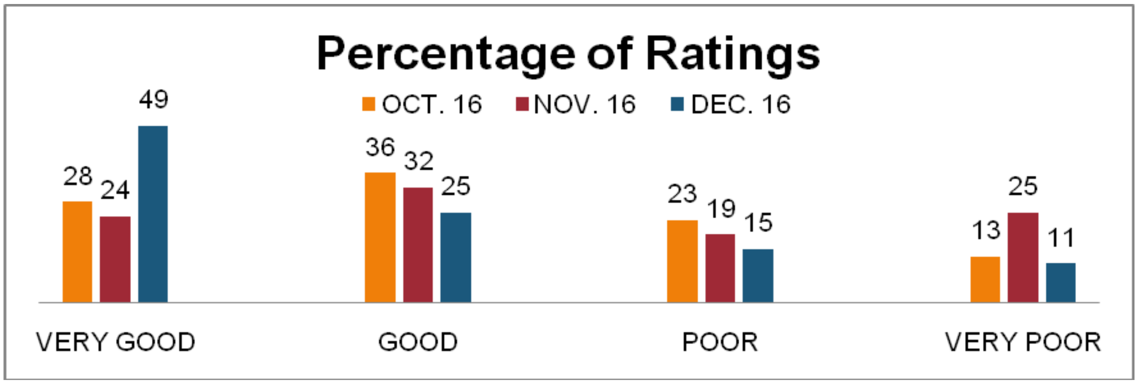

इसी तरह से, लिए गए समय को नीचे के ग्राफ में बताया गया है :

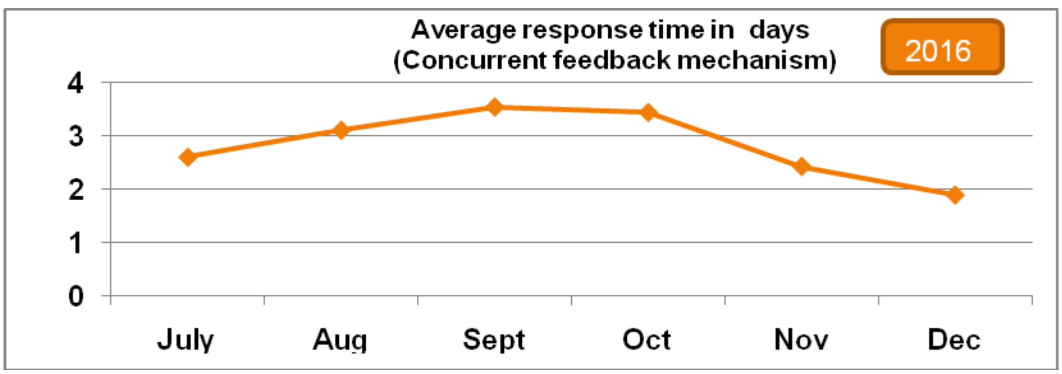

नौमनि का सुधार पर भरोसा है और ग्राफ से सेवाओं में सुधार की प्रवृत्ति नज़र आ रही है.

केन्द्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत समाधान और अनुवीक्षण प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)

यह भारत सरकार का पोर्टल है और इसका लक्ष्य है कि नागरिकों को शिकायत समाधान का एक मंच प्रदान किया जाए. इसका शीर्ष अभिकरण प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है. शिकायत मिलने पर इसे तत्काल मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार को भेजा जाता है. पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित शिकायत के मिलने पर नौमनि शिकायतों का समाधान करता है. वर्ष के अंत में, एक को छोड़ कर सभी के उत्तर दे दिए गए थे, इस शेष एक का उत्तर भी दिनांक 04. 01. 2017 को दे दिया गया. नौमनि में शिकायत और तत्संबंधी फीडबैक का स्वागत करता है.

रसोइए के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी)

नौमनि ने पहले ही सभी संबंधितों को यह स्पष्ट कर दिया है कि वापोप (वाणिज्य पोत परिवहन में रसोइए के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र) नियम, 1991 के अंतर्गत जारी किया गया रसोइए हेतु सक्षमता प्रमाणपत्र समुद्रीय श्रम कन्वेंशन, 2006 के प्रावधानों के अनुसार है. इस अनुरोध के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उक्त पृष्ठांकन में प्रमाणपत्र पर ही यह बात लिखी हो. तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि नाविक पालों द्वारा जारी किए गए रसोइए के तौर पर सक्षमता प्रमाणपत्रों पर निम्नोक्त वक्तव्य छपा होगा :

यह प्रमाणपत्र समुद्रीय श्रम कन्वेंशन, 2006 के विनियम 3. 2 के अनुपालन में जारी किया गया है.

जिन समुद्रकर्मियों को पहले से ही सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है और जो उपर्युक्त पृष्ठांकन के साथ नए प्रमाणपत्र चाहते हैं वे इस कार्यालय की वैबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकते हैं. उपर्युक्त पृष्ठांकन वाला नया प्रमाणपत्र मूल प्रमाणपत्र की जगह पर जारी किया जाएगा. इस संबंध में दिनांक 20.10. 2016 का क्रू अनुभाग की वापोप सूचना संख्या11 / 2016देखी जा सकती है.

समुद्रीय श्रम कन्वेंशन (एमएलसी),2006

समुद्रीय श्रम कन्वेंशन, 2006 – एक अनिवार्य अपेक्षा

500 या इससे अधिक सकल टनभार वाले सभी भारतीय ध्वज पोत और जो पोत वर्ष 2014 के नौमनि आदेश संख्या 01के अंतर्गत नदी समुद्र और भारतीय तटवर्ती जलयान के रू में वर्गीकृत हैं उनसे अपेक्षा है कि वे अपने अनुपालन विवरण (एसओसी) की मान्यता समाप्त होने से पहले या 09 .10. 2016 से एक वर्ष की अवधिके भीतर में से जो पहले हो तब तक समुद्रीय श्रम प्रमाणापत्र प्राप्त कर लें.

आज की स्थिति के अनुसार, प्राधिकृत आरओ के नाम हैं :((ए) इन्डियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (बी) लॉयड्स रजिस्टर ग्रुप लिमिटेड (सी) ब्यूरो वेरीटस (डी) अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग (ई) निप्पन काइजी क्योकाई (एफ) कोरियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (जी) आरआईएनए सर्विसेज़ एसपीए (एच) डीएनवी जीएल एएस. विस्तृत जानकारी हेतु दिनांक 08. 12. 2016 की वापोप सूचना संख्या16 / 2016देखें.

आईएमओ प्रतिभागिता : एक बाध्यकारी अपेक्षा

भारत आईएमओ का सक्रिय सदस्य है.31.12.2016 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान, निम्नलिखित अधिकारियों ने आईएमओ, लंदन के सत्रों/बैठकों में भाग लिया : 1. आईएमओ, लंदन में दिनांक 24.10.16 से 28.10.16 तक एमईपीसी के 70वें सत्र में सर्व श्री बीआर शेखर, मुख्य सर्वेक्षक और एबी दत्ता, इंजीनियर और पोत सर्वेक्षक ने भाग लिया.

2. आईएमओ, लंदन में दिनांक 21.11.16 से 25.11.16 तक एमएससी के 97वें सत्र में श्री अजी वासुदेवन, उप मुख्य पोत सर्वेक्षक ने भाग लिया.

3. दिनांक 05.12.16 से 09.12.16 तक छठे अन्तरराष्ट्रीय फोरम आर्कटिक टूडे और फ्यूचर ऑन सेन्ट पीटर्सबर्ग में श्री अजी वासुदेवन, उप मुख्य सर्वेक्षक ने भाग लिया.

पदोन्नति :

1. श्री अजीत कुमार सुकुमारन, उप मुख्य सर्वेक्षक को दिनांक 20.10.16 से प्रधान अधिकारी (इंजीनियरिंग) के पद पर पदोन्नत किया गया.
2. कपतान रणजीत कुमार मुदुली, नॉटिकल सर्वेक्षक को दिनांक 10.11.16 से उप नॉटिकल सलाहकारी-सह-वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नत किया गया.
3. कप्तान रविन्द्र सागर, नॉटिकल सर्वेक्षक को दिनांक 10.11.16 से उप नॉटिकल सलाहकार-सह-वरिष्ठ उप महानिदेशक (तकनीकी) के रूप में पदोन्नत किया गया.

क्षेत्र कार्यालयों में गतिविधियां :

समुद्री वाणिज्य विभाग (सवावि), कोलकाता

समुद्री वाणिज्य विभाग, कोलकाता ने 117 निरीक्षण/सर्वेक्षण किए. इसी तरह से सवावि, कोलकाता जो कि विभिन्न ग्रेडों के सक्षमता प्रमाणपत्रों की परीक्षाओं के सबसे बड़े केन्द्रों में से एक है, ने 4 नॉटिकल और 03 एनडबल्यूकेओ परीक्षाएं आयोजित कीं जिनमें क्रमश :700 और 13 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. तिमाही के दौरान 653 जीएमडीएसएस पृष्ठांकन प्रमाणपत्र जारी किए गए. इंजीनियरिंग ग्रेड 18 एमईओ और 09 एनसीवी (मौखिक) आयोजित किए गए जिनमें क्रमश :1086 और 26 अभ्यर्थियों ने भाग लिया. तिमाही के दौरान एक हिन्दी गृह पत्रिका का विमोचन किया गया और कार्यालय ने संघ की राजभाषा नीति के अंतर्गत अपेक्षाओं के कार्यान्वयन हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया. समुद्रकर्मियों की शिकायत का तंत्र सीधे तौर पर प्रधान अधिकारी, सवावि के नियंत्रण में कार्य करता है. तिमाही के दौरान समुद्रकर्मियों की ओर से 01 शिकायत मिली, जिसका निपटान कर दिया गया. सतर्कता जागरूकता सप्ताह (दिनांक 31.10.16 से 05.11.16 तक) मनाया गया जिसमें प्रधान अधिकारी, सवावि, कोलकाता ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई. सतर्कता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु बैनर/पोस्टर लगाए गए. इस पर 04 .11.16 को एक सेमीनार का आयोजन भी किया गया.

समुद्री वाणिज्य विभाग (सवावि), चेन्नई :

तिमाही के दौरान, पत्तन राष्ट्र नियंत्रण/ध्वज राष्ट्र कार्यान्वयन के अंतर्गत 17 निरीक्षण किए गए. प्रशिक्षण संस्थानों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए तिमाही के दौरान 09 निरीक्षण किए गए. इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए 604 और नॉटिकल परीक्षाओं के लिए 193 अभ्यर्थियों ने भाग लिया.

तिमाही के दौरान 2389 प्रमाणपत्र जारी किए गए जिनमें सीओसी, सीओसी-जीएमडीएसएस और डीसीई आदि का पुनर्वैधीकरण शामिल है. परिसर की सफाई कर स्वच्छ भारत अभियान मनाया गया. 31.10.16 को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली गई. दिनांक 31.10.16 से 05.11.16 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया. दिनांक 02.11.16 को, ईमानदारी बढ़ाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जन प्रतिभागिता विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.

दिनांक 12.12.16 को चेन्नई तट पर वर्दा नामक एक बड़ा भारी तूफानी चक्रवात आया जिसके परिणामस्वरूप बहुत तेज़ हवाएं चलीं और एंकर गेट भवन की दूसरी और तीसरी मंज़िल की खिड़कियों के दरवाज़े (07) टूट गए. मरम्मत का कार्य किया जा रहा है.

दिनांक 12.12.16 को 1530 बजे चक्रवात वर्दा के कारण मौसम बिगड़ गया और एन्नोर पत्तन पर फिंगर बोट जेट्टी के पास पायलट लॉन्च एआरएएनआई, ओ नंबर 2829, पंजीयन का पत्तन-चेन्नई, उलट गई. दिनांक 16.12.16 को डीजी कॉम सेन्टर, मुंबई को समुद्री अपघात/घटना/बाल-बाल बचने से संबंधित प्रथम सूचना भेजी गई. सवावि, चेन्नई की स्थानीय एजी लेखापरीक्षा दिनांक 26.12.16 से 30.12.16 तक की गई.

दिनांक 28.12.16 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया. अपने दैनंदिन सरकारी कामकाज में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया.

श्री दीपक शेट्टी, भारासे,(सीएन्डसीई : 1980)
दिनांक 30.11. 2016 को
सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त

दिनांक 30. 11. 2016को अधिवर्षिता की आयु होने पर श्री दीपक शेट्टी, भारासे (सीएन्डसीई :1980) नौवहन महानिदेशक एवं पदेन सचिव, भारत सरकार सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए.
उल्लेखनीय है कि आप अपने सरकारी कामकाज के दौरान उप/संयुक्त आयुक्त, राजस्व आसूचना, मुंबई, अपर वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार (अपनी पूर्व केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर), मुंबई, अपर आयुक्त और उत्पाद शुल्क आयुक्त, सीएसआई विमानपत्तन, सहार, मुंबई, अपर महानिदेशक, केन्द्रीय सीमाशुल्क आसूचना, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई, आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, उड़ीसा, भुवनेश्वर, आयुक्त, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, दमन और संयुक्त नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार (संयुक्त सचिव के स्तर पर, आरंभिक रूप से और बाद में अपर सचिव, भारत सरकार) के पदों पर आसीन रहे.
श्री दीपक शेट्टी ने अन्तरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आईएमओ) में कई आधिकारिक भारतीय शिष्टमंडलों और सीजीपीसीएस (सोमालिया के तट से परे समुद्री दस्युता पर संपर्क समूह) का नेतृत्व किया. पिछले साढ़े पांच साल से सोमालिया के तट से परे अदल की खाड़ी/हॉर्न ऑफ अफ्रीका में समुद्री दस्युता से निपटने में आपने समर्पित भाव से श्लाघनीय एवं उल्लेखनीय योगदान दिया जो कि विशेष रूप से भारतीय समुद्रकर्मियों और उनके परिवारों द्वारा सदैव याद रखा जाएगा. मई, 2014 में न्यूयॉर्क, यूएसए स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित सीजीपीसीएस की प्लेनरी में सार्वजनिक और औपचारिक तौर पर इसमें आपकी भूमिका की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई.
श्री दीपक शेट्टी ने नौवहन प्रबंधन में एक विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की.
नौमनि और नौवहन जगत की कामना है कि आपका सेवानिवृत्त जीवन सुखद-स्वकस्थ्रहे.
श्रीमती विद्या रणदिवे, प्रवर श्रेणी लिपिक की सेवानिवृत्ति :दिनांक 30.11.16 को अधिवर्षिता की आयु होने पर प्रवर श्रेणी लिपिक सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गईं.
नौमनि और नौवहन जगत की कामना है कि आपका सेवानिवृत्त जीवन सुखद-स्वस्थ रहे
पेन्शन से संबंधित कागज-पत्र लेखा एवं वेतन अधिकारी (नौवहन) को भेज दिए गए :

1. श्री दीपक शेट्टी, भारासे, नौवहन महानिदेशक एवं पदेन सचिव भारत सरकार.
2. श्रीमती विद्या रणदिवे, प्रवर श्रेणी लिपिक
3. श्री एके ठाकुर, नॉटिकल अधिकारी, भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, मुंबई
4. श्रीमती रेखा डी दलाल, प्रयोगशाला सहायक, भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, मुंबई को परिशोधित सेवानिवृत्ति लाभ
5. श्री राम सिंह एम एल हॉट, टोपस, भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, मुंबई
6. श्री राम सिंह एम एल हॉट, टोपस, भारतीय समुद्रीय विश्वविद्यालय, मुंबई

राजभाषा के विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम आदि के कार्यान्वयन	हिंदी

- महानिदेशालय में डॉ. मालिनी बि. शंकर, (भा.प्र.से.,) महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के रूप में दिनांक 19.12.16 को कार्यभार ग्रहण किया. उनकी अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 28 दिसंबर, 2016 को आयोजित की गई.

- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में पॉवर प्वाइंट के माध्यम से विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतिकरण किया गया.

- राजभाषा हिंदी में कार्य करने के झिझक को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 19.12.16 को किया गया. आयकर विभाग के अधिकारी श्री रमण सिंह इस कार्यशाला में तिमाही प्रगति रिपोर्ट को भरे जाने के संबंध में विशिष्ट जानकारी दी गई. दिनांक01 /12/ 2016एवं02 /12/ 2016को क्रमश: समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई, क्षेत्रीय पाल, मुंबई, सरकारी नौवहन कार्यालय और नाविक रोजगार कार्यालय, मुंबई का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया. इस निरीक्षण के दौरान सुधार हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए और राजभाषा संबंधित रिकॉर्डों को व्यवस्थित रूप से रखे जाने के लिए कहा गया.

- नौवहन महानिदेशालय के 4 अनुभाग नामत : नॉटिकल, समन्वय, नौवास्तु और सतर्कता अनुभाग का क्रमश : दिनांक13 /12/ 2016से16 /12/ 2016तक राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान राजभाषा हिंदी के विभिन्न पहलुओं को समझाते हुए तिमाही प्रगति रिपोर्ट में अनुमानित रूप से आंकड़े न दर्शाएं. उन सभी अनुभागों को यह बताया गया कि राजभाषा विभाग के आदेशों एवं वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए फाइलों पर टिप्पणी होनी चाहिए.

- “कौमी एकता सप्ताह” दिनांक 19 नवम्बर, 2016 से 25 नवम्बर, 2016 के दौरान आयोजित किया गया. दिनांक 22 नवम्बर, 2016 को प्रात :11 बजे श्री दीपक शेट्टी, भा.रा.से., नौवहन महानिदेशक एवं सचिव, भारत सरकार ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी एवं अंग्रेजी में शपथ दिलवायी.
- दिनांक 31.10.2016 को इस निदेशालय में “राष्ट्रीय एकता दिवस” का आयोजन किया गया इस “राष्ट्रीय एकता दिवस” पर श्री अमिताभ कुमार, भा.रा.से., अपर नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी और अंग्रेजी में शपथ दिलवायी.
- श्री सुनील कुमार, संयुक्त निदेशक (रा. भा.), पोत परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस निदेशालय का निरीक्षण दिनांक 26.10.2016 को किया गया. उन्होंने राजभाषा

विभाग के आदेशों एवं वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए महानिदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हिंदी के प्रति रूझान बढ़े इसके लिए प्रोत्साहित किया.

मानक प्रचालन प्रक्रियाएं :समय की मांग :

मानक प्रचालन प्रक्रिया को विकसित करने के प्रयोजन से नौमनि ने दिनांक 8-9.12.2016 को विभिन्न प्रक्रियाओं/ गतिविधियों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया. इस कार्यशाला में नौमनि के अधिकारियों और समुद्री वाणिज्य विभाग और अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

नौमनि की नई ई-गवर्नेन्स परियोजना संबंधी भावी कार्य योजना की रिपोर्ट:

निदेशालय की नई ई-गवर्नेन्स प्रणाली में प्रस्ताव है कि पोतों ओर समुद्रकर्मियों दोनो को मिलाकर सेवाओं और कार्यकलापों को पूरी तरह से समेकित कर रखा जाए. इस संबंध में मैसर्स अर्न्ट एन्ड यंग एलएलपी टीम द्वारा भावी कार्य योजना संबंधी रिपोर्ट बनाई गई है. यही भावी कार्य योजना रिपोर्ट नई कार्य प्रणाली का आधार बनेगी.
यह रिपोर्ट सभी संबंधित अधिकारियों और निदेशलाय के अधीनस्थ कार्यालयों को इस मामले में आवश्यक आशोधन/ मत/ विचार रखने हेतु भेजी गई है.

प्राकृतिक गैस – ईंधन वाले पोतों और एलएनजी बंकरिंग संबंधी सुरक्षा हेतु तकनीकी मानक बनाया जाना .

नदियों, नहरों, भूभाग में फैले समुद्री जल और संकरी खाडियों के रूप में भारत भर में अन्तर्देशीय जलमार्गों का एक व्यापक जाल फैला हुआ है. वर्तमान में, अन्तर्देशीय और तटवर्ती जल मार्गों दोनों ही में जलयानों द्वारा ईंधन के रूप में भारी ईंधन तेल और डीज़ल तेल का प्रयोग किया जाता है. इन क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने की दिशा में प्राकृतिक गैस का प्रयोग बढ़ाना एक सही कदम होगा. अन्तरराष्ट्रीय रूप से पर्यावरण संबंधी नियमों का दबाव है कि जल परिवहन के माध्यमों से होने वाले उत्तर्जन में कमी लाई जाए. दुनिया भर में सख्ती से सल्फर की सीमा में कमी लाए जाने के कारण समुद्री बंकर ईंधन को डिज़ाइन और इसका निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि एलएनजी से चलने वाले पोत बनाए जा रहे हैं और एलएनजी ईंधन की अधिरचना का निर्माण हो रहा है.

एलएनजी से चलने वाले पोतों के डिज़ाइन और इनके निर्माण को बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए और भारत में एलएनजी ईंधन की अधिरचना को खड़ा करने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या एसडी-11018/7/2016 दिनांक 7 अक्तूबर , 2016 के अनुसार विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है ताकि प्राकृतिक गैस से चलने वाले जलयानों और एलएनजी बंकरिंग संबंधी सुरक्षा के तकनीकी मानकों की जांच की जा सके और मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जा सकें. इस समिति में नौवहन महानिदेशालय, इन्डियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी), पेट्रोलियम एन्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी संगठन (पीईएसओ), आईपीए, तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईबीडी), जीएआईएल, डीएनवी-जीएल, लॉयड्स रजिस्टर, ब्यूरो वेरीटस, पेट्रोनेट के विशेषज्ञ और पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं.

दिनांक 26.10.16, 18.11.16 और 01.12.16 को श्री सुरेश कुमार आरएम, मुख्य पोत सर्वेक्षक, नौमनि, भारत सरकार, मुंबई की अध्यक्षता में समिति ने तीन बैठकें कीं और ई-मेल पत्राचार के माध्यम से कई बार विचार-विमर्श किए गए.

विस्तृत बातचीत के उपरांत समिति ने एलएनजी से चलने वाले पोतों और एलएनजी बंकरिंग की सुविधाओं से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शी सिद्धांत निरूपित किए. समिति की रिपोर्ट आवश्यक विचारार्थ पोत परिवहन मंत्रालय को भेजी गई है.

कैबोटेज को जानें :एक संकलन

कैबोटेज शब्द स्पेनिश भाषा के कैबो शब्द से बना जिसका मतलब होता है केप यानी अंतरीप या आगे की ओर निकली हुई भूमि. कन्साइज़ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कैबोटेज का अर्थ वह तटवर्ती व्यापार बताया गया है जो कि किसी देश विशेष के अपने ही क्षेत्र के भीतर यातायात प्रचालनों से होता हो.

भारतीय नौवहन हेतु तटवर्ती व्यापार को आरक्षित करने के लिए अतीत में कई प्रयास किए गए. पहला प्रयास संवर्गीय माननीय सर एल भाई शामलदास द्वारा मार्च 1922 में किया गया, आपने राज्य परिषद में एक संकल्प पारित किया जिसमें ऐसी संस्तुति थी कि संबंधित विभागों को ऐसे अनुदेश जारी किए जाएं कि वे भारतीय कंपनियों को अपनी दरें बताने का अवसर दें. इसका बहुत लाभकारी परिणाम न हुआ.

दूसरा प्रयास सन् 1928 में एसएन हाजी ने किया, हालांकि सरकार ने अपना मत प्रकट किया कि ऐसा किया जाना उन भारतीयों के हित में न होगा जो कि बर्मा और अन्य अंग्रेज़ी हुकूमतों के अधीन रह रहे हैं.

तीसरा प्रयास सर अब्दुल हलीम ग़ज़नवी द्वारा 1937 में किया गया आपने भारत में तटवर्ती नौवहन को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक पेश किया ताकि विभिन्न प्रचालन कंपनियों के बीच चल रही अनुचित प्रतियोगिता को रोका जा सके. आपने बात को विभेदित छूट प्रणाली को समाप्त कर देने तक बढ़ाया. आम जनता द्वारा हालांकि इस विधेयक को व्यापक समर्थन मिला इसलिए सरकार को लगा कि इसे कार्यान्वित किया जाना कठिन होगा.

अंत में, 1945 में भारत सरकार ने सर पीसी रामस्वामी ऐयर की अध्यक्षता में नौवहन पर युद्धोपरांत पुन :निर्माण नीति उप समिति का गठन किया. इस उप समिति ने संस्तुत किया कि अन्य बातों के साथ अगले 5 से 7 साल तक तटवर्ती व्यापार को आरक्षित रखा जाए. सरकार द्वारा यह संस्तुति मान ली गई. अगस्त, 1950 में तटवर्ती व्यापार के पूरे आरक्षण की नीति घोषित की गई.

अंततोगत्वा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत भारतीय नौवहन के लिए तटवर्ती व्यापार को आरक्षित कर दिया गया.

वर्तमान में, सरकार किसी विदेशी जलयान को अनुमति नहीं देती कि वह भारतीय तट के किसी पत्तन से अन्य भारतीय पत्तन पर कार्गो लेकर जाए. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 407 के अंतर्गत कोई विदेशी पोत भारतीय तट पर कार्गो नहीं ले जा सकता.

यदि विदेशी पोत भारतीय तट पर कार्गो ले जाना चाहता है तो उसे नौमनि के यहां तटवर्ती लाइसेन्स के लिए आवेदन करना होगा या फिर समुद्री यात्रा के लाइसेन्स हेतु आवेदन करना होगा ताकि वह उस समुद्री यात्रा के उस हिस्से के तट पर अपना कार्य कर सके.

हमारे प्रिय समुद्रकर्मियों का कहना है कि :

टिकट नंबर	दिनांक और समय	टिप्पणियां	समुद्रकर्मी का नाम
132957	10/ 1042 142016:42 बजे	सवावि की सेवा उत्कृष्ट है	ब्रजभान सिंह
717987	10/15/2016 1:49 बजे	सवावि के कर्मचारी अत्यंत कुशल और सेवाभावी हैं	वैभव भड़भड़े
206542	10/25/2016 4:44 बजे	उत्कृष्ट सेवा	ब्रजभान सिंह
240375	11/01/2016 11:51 बजे	बहुत अच्छी अनुभव	रतुल घोष
464217	11/07/2016 4:19 बजे	अच्छी	एन्ने हसन
976101	11/10/2016 10:17 बजे	अच्छी सेवा	प्रतीक कुमार
641244	11/17/2016 10:15 बजे	बहुत अच्छी	अंबर तालियान
526778	11/25/2016 2:14 बजे	अच्छी सेवा	शंभू झा
998048	12/01/2016 2:18 बजे	बहुत अच्छी सेवा. बहुत-बहुत धन्यवाद	अशोक कुमार
204744	11/29/2016 10:52 बजे	संतुष्ट	कनगराज सेंगुट्टूवेल
819766	21/01/2016 10:05 बजे	डिजिटल इन्डिया के क्रान्तिकारी कदम हेतु धन्यवाद	विरिल यादव
262559	12/01/2017 1400 बजे	नौमनि और सवावि द्वारा उत्कृष्ट और निर्बाध ऑनलाइन सेवा आरंभ की गई.	विशाल सराफ
160169	12/01/2017 12:10 बजे	पोतस्थ मास्टर को सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करने के तत्पर सहयोग हेतु धन्यवाद.	मोन्तिना लवीना
297348	09/12/2016 16:56 बजे	बहुत अच्छी और ऑनलाइन फार्म भरा जाना आरंभ करने से समय की बचत. अतिशय धन्यवाद.	कुमार संगीत
871554	10/24/2016 11:04 बजे	विशेष रूप से कोच्चि के कर्मचारियों द्वारा सहायता हेतु उनका और आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद.	वरुण शर्मा
998048	12/01/2016 1400 बजे	मेरा बदला हुआ सक्षमता प्रमाणपत्र मुझे मिल गया है, बहुत ही अच्छी सेवा है. कोलकाता सवावि के कर्मचारियों को बधाई.	अशोक कुमार

874805	12/09/2016 16:35 बजे	संतोषजनक	सचिन पंवार
398523	12/09/2016 1704 बजे	ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया वाकई अच्छी कदम है. कई ब्राउज़र लगाए जाएं तो और भी अच्छी रहेगा.	आदित्य काळे